राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(36)नविवि/एन.ए.एच.पी./2014पार्ट जयपुर, दिनांक :– 22 MAY 2019

आदेश

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 3–ए/3–बी के अंतर्गत आवेदित प्रकरणों में धारा 90–ए के आदेश जारी होने/ले–आउट प्लान अनुमोदित होने की प्रकिया के दौरान पट्टे जारी होने से पूर्व यदि आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के स्थान पर सामान्य आवासीय योजना अनुमोदित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

1. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत प्राप्त आवेदनों पर आवेदन शुल्क (भूमि रूपान्तरण शुल्क का 10 प्रतिशत) से छूट है। अतः सामान्य आवासीय योजना में परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार आवेदन शुल्क/प्रीमियम राशि जमा करवायी जावे।
2. यदि 90–ए के नियमों अनुसार आपत्ति/सुझाव हेतु समाचार पत्रों की विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत आवासीय योजना का उल्लेख करते हुये जारी की गई हो तो समाचार पत्रों में पुनः सामान्य आवासीय योजना हेतु विज्ञप्ति जारी करवायी जाकर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जावे।
3. चूंकि मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 तहत 90–ए हेतु तकनीकी मापदण्डों यथा मास्टर प्लान भू–उपयोग, सड़क की चौड़ाई आदि में छूट दी गयी हो सकती है, अतः 90–ए के नियमों व प्रकिया के अनुसार प्रकरण का मास्टर प्लान भू–उपयोग एव पहुँच मार्ग की चौडाई आदि तकनीकी मापदण्डों की पुनः जांच कर सामान्य आवासीय योजना हेतु आवश्यक मापदण्ड सुनिश्चित किये जावे।
4. सामान्य आवासीय योजना हेतु प्रकरण उपयुक्त पाये जाने पर नियमानुसार योजना ले–आउट प्लान अनुमोदन आदि की कार्यवाही, समस्त देय राशि जमा करवाते हुये की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. एम्पैनल्ड आर्किटैक्ट समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय